

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2035/2026**

दिनेश सिंह और 5 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और 5 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : श्री महेंद्र प्रताप सिंहविपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, श्री रंजीत सिंह
-----**न्यायालय संख्या - 16****माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. अधिवक्ता श्री रंजीत सिंह ने विपक्षी संख्या 2 से 5 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर
उपस्थिति दर्ज कराई है और उसे अभिलेख पर लिया जाता है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत सिंह को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

3. इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने पुलिस थाना-लालगंज, जिला-रायबरेली में दर्ज मु0 अपराध संख्या 425/2012, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308 एवं 506 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1201/2012 की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही, तथा साथ ही साथ मु0 अपराध संख्या 425-क/2012, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323 एवं 308 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1200/2012 की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की भी प्रार्थना की है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कुछ भ्रान्ति के कारण, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, पक्षकार एक साथ बैठे और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा कर लिया, जिसे दिनांक 23.02.2026 को लेखबद्ध कर लिया गया है। तत्पश्चात, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2035/2026 दाखिल किया, जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और उसके अनुपालन में, समझौता विलेख दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया। उनका प्रस्तुत करना है कि अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है।

5. अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, उनका प्रस्तुत करना है कि **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 688** में रिपोर्ट किए गए वाद के पैरा संख्या 15.4 में निर्धारित विधि के अनुपात के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अंतर्गत समझौते के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त) के वाद में निर्णय का पैरा संख्या 15.4 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"15.4 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए इन्हें समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के विरुद्ध, और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और/या आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि पक्षकारों ने आपस में अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय अपना निर्णय केवल इस कारण नहीं रोकेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख है या इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह परीक्षण करने का विकल्प खुला रहेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को केवल नाम के लिए शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो भारतीय दंड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप तय करने का कारण बनेंगे। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह आई हुई चोट की प्रकृति, क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर पहुंचाई गई है, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करे। यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद विवेचना के बाद साक्ष्य एकत्र होने और आरोप पत्र दाखिल होने/आरोप तय होने के बाद और/या विचारण के दौरान ही अनुमन्य होगी। जब वाद अभी भी विवेचनाधीन हो तब ऐसी कवायद अनुमन्य नहीं है। इसलिए, नरिंदर सिंह के वाद में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 29.6 और 29.7 के अंतिम निष्कर्ष को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए और समग्र रूप से तथा ऊपर बताई गई परिस्थितियों में पढ़ा जाना चाहिए।"

6. उपरोक्त आधार का उल्लेख करते हुए, उनका प्रस्तुत करना है कि वर्तमान वाद में, चोटों की प्रकृति ऐसी है जिसमें यह न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारिता का उपयोग कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान वाद में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक कवायद होगी और इसलिए, मु0 अपराध संख्या 425/2012 और 425-क/2012 के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

7. विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है तथा विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 23.02.2026 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते को दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित किया जा चुका है और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

10. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आवेदकों और विपक्षी पक्षकारों ने दिनांक 23.02.2026 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है, तथा इस प्रकार, **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एस.सी.सी. 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एस.सी.सी. 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303; और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत, उपर्युक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है।

11. तदनुसार, पुलिस थाना-लालगंज, जिला-रायबरेली में दर्ज मु0 अपराध संख्या 425/2012, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308 एवं 506 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आपराधिक वाद संख्या 1201/2012, तथा साथ ही साथ मु0 अपराध संख्या 425-क/2012, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323 एवं 308 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1200/2012 में आवेदकगण के विरुद्ध संस्थित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

12. यह समझौता इस आदेश का भाग होगा।

13. तदनुसार यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14. दाखिल दफ्तर किया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

मार्च 30, 2026

मयंक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।